न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी :– जय प्रकाश (आर.ए.एस.)

पत्रावली संख्या–03/2018 प्रार्थना पत्र जागीर

रामप्रपन्नाचार्य चेला स्व. श्री बद्रीदासजी जाति ब्राहमण निवासी गनेड़ी महन्त एवं पुजारी मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी, गनेड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

हर आम व खास

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत प्रपत्र 12 ए संशोधित किये जाने ।

वकील प्रार्थी श्री अमरचन्द गोयल

निर्णय

दिनांकः– 28.05.20

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि तहसील लक्ष्मणगढ़ में कई व मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी, गनेड़ी व मन्दिर श्री ठाकुरजी, सूतोद की पूजा पूर्व पुजारी बद्रीदास चेला रामकिशनदास करते आ रहे थे। जो मन्दिर की पूजा अर्चना भोग आदि व्यवस्था व सेवा आदि करते थे। जिनकी मृत्यु दिनांक 10.04.2001 को हो चुकी है। जिनको स्थान विभाग उदयपुर द्वारा क्रमशः 193.57/–रूपये व 47.11/– रूपये मिलते थे। स्व0 बद्री की मृत्यु के पश्चात मन्दिर की सेवा पूजा करने का कार्य रामप्रपन्नाचार्य चेला स्व0 श्री बद्री ही कर रहा है। तथा उनके पश्चात् मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी, गनेड़ी व मन्दिर श्री ठाकुर सूतोद की सेवा पूजा व भोग प्रार्थी द्वारा ही चढ़ाया जा रहा है। अतः प्रार्थी के नाम प्रपत्र 1 जारी किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उज्रदारी नोटिस एक माह क जारी किया गया। नोटिस पर किसी प्रकार का ऐतराज नही आया तथा प्रार्थी की ओर से वकील श्री प्रभातीलाल ने वकालतनामा पेश किया। साक्ष्य के रुप में प्रार्थी रामप्रपन्नाचार्य ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पूर्व पुजारी स्व0 बद्रीदास चेला रामकिशनदास के नाम से जारी प्रपत्र 12बी की फोटो प्रतियां पेश की, जिसके क्लेम संख्या 63 एलजेआर जागीर गनेड़ी में मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी पुजारी बदरीदास चेला रामकिशनदास अंकित है एवं क्लेम संख्या 75 एलजेआर जागीर सूतोद में मन्दिर श्री ठाकुरजी पुजारी बदरीदास चेला रामकिशनदास अंकित है। ग्रम पंचायत गनेड़ी द्वारा दिनांक 20.02.2018 को में मंदिर श्री जानकी वल्लभजी एवं श्री ठाकुरजी बताया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

टिस जारी किये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपति नही आई है तथा सरपंच ग्रम चायत गनेड़ी ने प्रमाण पत्र जारी किया कि मन्दिर की सेवा पूजा महन्त श्री रामप्रपन्नाचार्य चेला स्व0 श्री बद्रीदास कर रहा है। भू.अ.निरीक्षक नेछवा की फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 20.02.2018 में अंकित किया गया है कि मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी व मन्दिर श्री ठाकुरजी एक ही परिसर में ग्राम गनेड़ी में स्थित है एवं मृतक पुजारी श्री बद्रीदास के उत्तराधिकारी श्री रामप्रपन्नाचार्य ही है जो मन्दिर की सेवा पूजा, प्रबन्धन आदि कार्य करते है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः

आज्ञा है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मन्दिर श्री जानकी वल्लभजी जागीर गनेड़ी व मन्दिर श्री ठाकुरजी जागीर सूतोद के पुजारी बद्रीदास चेला रामकिशनदास की मृत्यु उपरान्त रामप्रपन्नाचार्य चेला बद्रीदास जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गनेड़ी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर के नाम से पृथक–पृथक संशोधित प्रपत्र 12ए जारी होकर आयुक्त, देव स्थान विभाग,उदयपुर (राजस्थान) व सम्बन्धित को प्रति भिजवाई जावे। फार्म 12ए में इस प्रकार का नोट लगाया जावे कि यह वार्षिक वृति प्राप्त करने हेतु ही मान्य होगा। राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मन्दिर की भूमि की खातेदारी में नाम अंकन हेतु मान्य नही होगा। भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में ही रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/5/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official